

पत्रांक-3 / विभिन्नों-जेंपी०एस०सी०-49 / 2013 3592

झारखण्ड लोक सेवा आयोग.

सर्कुलर रोड, राँची।

प्रेषक,

रतन कुमार,  
सचिव,  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

सेवा में,

कुलसचिव,  
राँची विश्वविद्यालय, राँची।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

सिद्धो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

नीलाम्बर-पीताम्बार विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू।

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

राँची, दिनांक: 25.10.2013

विषय : विभिन्न प्रोन्नति योजनान्तर्गत झारखण्ड लोक सेवा आयोग को विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु भेजे जाने वाले प्रस्ताव के लिए विहित प्रपत्र निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित विभिन्न प्रोन्नति की योजनाओं यथा कालबद्ध प्रोन्नति योजना, मेद्या प्रोन्नति योजना, कैरियर एडवांसमेन्ट योजना आदि के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव में संबंधित अधिनियम/परिनियम के आलोक में कई बार अपर्याप्त सूचना रहने के कारण ऐसे प्रस्ताव पर ससमय निर्णय लेने में आयोग को कठिनाई होती है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा प्रोन्नति से संबंधित परिनियम तथा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित अर्हताओं को दृष्टि में रखते हुए विहित प्रपत्र तैयार किया गया है। इस विहित प्रपत्र में विश्वविद्यालयों से प्रोन्नति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर पारदर्शी तरीके से आयोग स्तर से शीघ्र निर्णय लिया जा सकेगा। विहित प्रपत्रों की विवरणी नीचे दी जा रही है तथा एक प्रति भी संलग्न की जा रही है।

अनुरोध है कि संलग्न किये जा रहे विहित प्रपत्र में परिनियम/अधिनियम के आलोक में अगर किसी संशोधन का विश्वविद्यालय का कोई सुझाव हो तो संबंधित नियमों/परिनियमों के तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए एक सप्ताह के अन्दर आयोग को सुझाव भेजा जाय ताकि तदनुसार निर्णय लिया

कृपया

2. n

जा सके। अन्यथा संलग्न विहित प्रपत्र में ही विश्वविद्यालय से प्रोन्नति का प्रस्ताव आयोग में रखीकार किये जायेंगे। विहित प्रपत्र की सूची निम्न है :-

क्र०स०	विहित प्रपत्र का कोड	संबंधित प्रोन्नति योजना
1	TBPS (Const.) – 01	दस वर्ष की सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत व्याख्याता (अंगीभूत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) से उपाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
2	TBPS (Aff./Min.) – 01	दस वर्ष की सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत व्याख्याता (संबद्ध/अल्पसंख्यक महाविद्यालय) से उपाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
3	TBPS (Const.) – 02	पच्चीस वर्ष की सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत उपाचार्य (अंगीभूत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
4	TBPS (Aff./Min.) – 02	पच्चीस वर्ष की सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत उपाचार्य (संबद्ध/अल्पसंख्यक महाविद्यालय) से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
5	TBPS (Const.) – 03	सोलह वर्ष की सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत उपाचार्य (अंगीभूत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
6	TBPS (Aff./Min.) – 03	सोलह वर्ष की सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत उपाचार्य (संबद्ध/अल्पसंख्यक महाविद्यालय) से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
7	MPS (Const.)-01	आठ वर्ष की सेवा के आधार पर मेद्या प्रोन्नति योजनान्तर्गत व्याख्याता (अंगीभूत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) से उपाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
8	MPS (Const.)-02	आठ + आठ वर्ष की सेवा के आधार पर मेद्या प्रोन्नति योजनान्तर्गत उपाचार्य (अंगीभूत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
9	CAS (Const.) – 01	कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत व्याख्याता (अंगीभूत महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) से व्याख्याता (तीर्थ गोदामान) के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।

क०प०उ०

2. ७/१

10	CAS (Aff./Min.) – 01	कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत व्याख्याता (संबद्ध / अल्पसंख्यक महाविद्यालय) से व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
11	CAS (Const.) – 02	कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत व्याख्याता (वरीय वेतनमान) (अंगीभूत महाविद्यालय / विश्वविद्यालय) से व्याख्याता (प्रवर कोटि) के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
12	CAS (Aff./Min.) – 02	कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत व्याख्याता (वरीय वेतनमान) (संबद्ध / अल्पसंख्यक महाविद्यालय) से व्याख्याता (प्रवर कोटि) के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
13	CAS (Const.) – 03	कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत व्याख्याता (वरीय वेतनमान) (अंगीभूत महाविद्यालय / विश्वविद्यालय) से उपाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
14	CAS (Aff./Min.) – 03	कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत व्याख्याता (वरीय वेतनमान) (संबद्ध / अल्पसंख्यक महाविद्यालय) से उपाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
15	CAS (Const.) – 04	कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत उपाचार्य (अंगीभूत महाविद्यालय / विश्वविद्यालय) से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।
16	CAS (Aff./Min.) – 04	कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत उपाचार्य (संबद्ध / अल्पसंख्यक महाविद्यालय) से विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त विहित प्रपत्र।

L. कुमा  
सचिव, 25/10/13  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांक: 3592

राँची, दिनांक: 25.10.2013

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपरोक्त विहित प्रपत्र की सूची संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

L. कुमा  
सचिव, 25/10/13  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांक: 3592

राँची, दिनांक: 25.10.2013

प्रतिलिपि: विशेष कार्य पदाधिकारी (न्या०), विश्वविद्यालय मामले, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपरोक्त विहित प्रपत्र की सूची संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

L. कुमा  
सचिव, 25/10/13  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।